प्रकाशन हेतु अनुमोदित

<u>छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर</u>

दाण्डिक अपील क्रमांक 694/1994

अपीलकर्ता : कन्हैया गिर, पिता स्व. सुदामा गिर, आयु 38 वर्ष, निवासी – मुकता,

थाना – जैजैपुर, जिला – बिलासपुर (छ.ग.)

बनाम

प्रतिवादी : मध्यप्रदेश राज्य (अब छत्तीसगढ़ राज्य), द्वारा

थाना जैजैपुर, जिला बिलासपुर (छ.ग.)

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

आदेश की उद्घोषणा हेतु 09/03/2011 को सूचीबद्ध करे|

सही/-

प्रितिंकर दिवाकर

न्यायाधीश

08/03/2011

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

दाण्डिक अपील क्रमांक 694 /1994

अपीलकर्ता : कन्हैया गिर, पिता स्व. सुदामा गिर, आयु 38 वर्ष, निवासी – मुकता,

थाना – जैजैपुर, जिला – बिलासपुर (छ.ग.)

बनाम

प्रतिवादी : मध्यप्रदेश राज्य (अब छत्तीसगढ़ राज्य), द्वारा

थाना जैजैपुर, जिला बिलासपुर (छ.ग.)

(एकलपीठ : माननीय श्री न्यायमूर्ति प्रीतिंकर दिवाकर)

(दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 374(2) के अंतर्गत दाण्डिक अपील)

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

श्री दीपक जैन, अपीलकर्ता के अधिवक्ता।

श्री वैभव ए. गोवर्धन, राज्य के पैनल अधिवक्ता।

(निर्णय)

(यह निर्णय मार्च, 2011 के 9वें दिन पारित किया गया)

1. यह अपील अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, सक्ती, जिला बिलासपुर द्वारा सत्र प्रकरण क्रमांक 21/1991 में दिनांक 10.06.1994 को पारित आक्षेपित निर्णय एवं आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है, जिसके द्वारा अभियुक्त-अपीलकर्ता को भारतीय दण्ड संहिता की धारा 397 के अंतर्गत दोषसिद्ध ठहराते हुए 7 वर्ष के कठोर कारावास तथा ₹1000/- के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया तथा अर्थदण्ड की राशि का भुगतान न करने की दशा में एक वर्ष का अतिरिक्त कठोर कारावास भुगतने का आदेश दिया गया।

2. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य यह हैं कि दिनांक 05.05.1990 को लगभग अपराह्न 1:30 बजे प्रथम सूचना रिपोर्ट (प्रदर्श पी-1) शिकायतकर्ता इतवारी (अ.सा.-1) द्वारा दर्ज कराई गई, जिसमें यह आरोप लगाया गया कि दिनांक 04.05.1990 को लगभग सायं 5:30 बजे, जब वह अपने ग्राम मुकता से ग्राम कैलिम्बर अपने ससुर को ₹3000/- की राशि लौटाने हेतु जा रहा था, जो उसने उससे उधार लिया था। मार्ग में, चोरभट्टी तालाब के पास, अभियुक्त-अपीलकर्ता कन्हैया, जो उसी ग्राम अर्थात् मुकता का निवासी है, शिकायतकर्ता के पीछे से आया, उसे रोक लिया तथा उसके सिर, पैर एवं हाथ पर प्रहार कर मारपीट की। तत्पश्चात अभियुक्त ने शिकायतकर्ता की जेब से ₹3000/- की राशि लूटकर घटनास्थल से फरार हो गया। उक्त रिपोर्ट के आधार पर अभियुक्त के विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा 394 के अंतर्गत अपराध पंजीबद्ध किया गया। विवेचना उपरांत दिनांक 30.08.1990 को भारतीय दण्ड संहिता की धारा 341 एवं 325 के अंतर्गत अभियोग-पत्र प्रस्तुत किया गया। तथापि, दिनांक 03.04.1991 को भारतीय दण्ड संहिता की धारा 397 के अंतर्गत आरोप विरचित किया गया।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

3. अभियुक्त-अपीलकर्ता को दोषी ठहराने के उद्देश्य से अभियोजन द्वारा कुल 9 साक्षियों का परीक्षण किया गया। एक साक्षी, नाम फागु गिर, का परीक्षण बचाव साक्षी के रूप में किया गया तथा अभियुक्त/अपीलकर्ता का कथन दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के अंतर्गत अभिलिखित किया गया, जिसमें उसने अपराध से इंकार किया तथा विचारण की प्रार्थना की। साक्ष्यों के विवेचना के पश्चात अधीनस्थ न्यायालय द्वारा, उपर्युक्तानुसार, अभियुक्त-अपीलकर्ता को दोषसिद्ध कर दण्डादेशित किया गया।

4. अपीलकर्ता की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री दीपक जैन का यह तर्क है कि अभियुक्त-अपीलकर्ता से किसी भी प्रकार की कोई बरामदगी नहीं की गई है, अतः उसे भारतीय दण्ड संहिता की धारा 397 के अंतर्गत दोषसिद्ध नहीं किया जा सकता। उनका यह भी निवेदन है कि शिकायतकर्ता के कथन के अतिरिक्त अपीलकर्ता के विरुद्ध कोई अन्य ठोस सामग्री उपलब्ध नहीं है और इस आधार पर भी उसे दोषसिद्ध नहीं किया जा सकता। आगे यह भी तर्क प्रस्तुत किया गया है कि पुलिस को दिए गए अपने कथन में शिकायतकर्ता ने कहा है कि अभियुक्त ने उस पर लकड़ी की लाठी से हमला किया था, जबकि न्यायालय में दिए गए कथन में उसने यह बयान दिया है कि अभियुक्त/अपीलकर्ता ने तब्बल से हमला किया। यह विरोधाभासी कथन स्पष्ट करता है कि

शिकायतकर्ता ने अभियुक्त को झूठा फँसाया है। विद्वान अधिवक्ता ने आगे यह भी प्रस्तुत किया कि न्यायालय में दिए गए कथन में शिकायतकर्ता ने अपने न्यायालयीन कथन में यह बयान दिया है कि उसने उक्त राशि अपने मामा से उधार ली थी, जबकि पुलिस को दिए गए अपने कथन में उसने यह कहा था कि उसने उक्त राशि अपने ससुर से उधार ली थी।

5. दूसरी ओर, आक्षेपित निर्णय का समर्थन करते हुए राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री गोवर्धन द्वारा यह तर्क प्रस्तुत किया गया कि भले ही अभियुक्त से कोई बरामदगी नहीं की गई हो, तथापि शिकायतकर्ता इतवारी (अ.सा.-1) के कथन के आधार पर अभियुक्त का दोषसिद्ध किया जाना पूर्णतः न्यायोचित है। उनका यह भी निवेदन है कि पीड़ित को गंभीर प्रकृति की चोटें आई थीं, अतः अभियुक्त/अपीलकर्ता के विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा 397 के अंतर्गत अपराध प्रथम दृष्टया सिद्ध होता है। शिकायतकर्ता के कथनों में जो अल्प विरोधाभास एवं लोप पाई जाती है, उसे इस आधार पर अनदेखा किया जाना चाहिए कि उसका न्यायालयीन कथन घटना के लगभग डेढ़ वर्ष पश्चात अभिलिखित किया गया।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

6. मैंने पक्षकारों की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ताओं को सुना तथा अभिलेख पर उपलब्ध समस्त अभिवचनों एवं दस्तावेजों का परिशीलन किया।

7. शिकायतकर्ता इतवारी (अ.सा.-1) ने अपने न्यायालयीन कथन में यह कहा है कि वह अपीलकर्ता को जानता है तथा घटना के दिन, जब वह अपने ग्राम मुकता से दतोड़ अपने मामा को उससे उधार ली गई ₹3000/- की राशि लौटाने हेतु जा रहा था, तब चोरभट्टी के पास अभियुक्त/अपीलकर्ता अपने हाथ में सब्बल लिए खड़ा था। जब वह उसके समीप पहुँचा, तब अभियुक्त ने उक्त सब्बल से उस पर प्रहार किया, जिसके परिणामस्वरूप उसके सिर में चोट आई। उसने आगे यह भी कहा कि तत्पश्चात अभियुक्त ने उसी सब्बल से उसके कांख पर पुनः प्रहार किया तथा तीसरा प्रहार उसकी दाहिनी जाँघ पर किया गया। उसने यह भी कहा कि इसके पश्चात उसने उक्त सब्बल को पकड़ लिया, किंतु अभियुक्त/अपीलकर्ता ने उसे खेत में पटक दिया तथा उसके दाहिने कान को दाँतों से काट लिया, जिसके बाद वह बेहोश हो गया। तथा अभियुक्त/अपीलकर्ता ने उसकी जेब से रुपये निकाल लिए और घटनास्थल से फरार हो गया। यह भी कहा गया है कि इसके पश्चात सुखीचंद तथा ग्राम का कोटवार, नाम चतराम, उसके पास आए।

उसने उनसे अनुरोध किया कि उसके घर जाकर इस घटना की सूचना दें कि अभियुक्त/अपीलकर्ता ने उसके साथ मारपीट की है, जिसके पश्चात उसके घर पर सूचना दी गई। उसकी माता, बहन तथा छोटा भाई उसके पास पहुँचे और उसे थाना ले जाया गया, जहाँ प्रथम सूचना रिपोर्ट (प्रदर्श पी/1) दर्ज की गई। उसने आगे यह भी कहा है कि उसके दाहिने कान का एक भाग काट दिया गया था। प्रतिपरीक्षण के दौरान उसने इस तथ्य से इंकार किया है कि घटना से लगभग डेढ़ वर्ष पूर्व उसके तथा अभियुक्त/अपीलकर्ता की पत्नी के मध्य कोई विवाद था। उसने यह भी कहा है कि घटना के पश्चात लगभग 10 व्यक्तियों ने, जिनमें पुनीराम भी शामिल था, उसे घेर लिया था, किंतु उसने पुनीराम को इस बात की जानकारी नहीं दी कि उसकी राशि अभियुक्त/अपीलकर्ता द्वारा लूट ली गई है, तथापि उसने यह तथ्य सुखीचंद एवं ग्राम के कोटवार को बताया था। उसने आगे स्पष्ट किया है कि उसने पुलिस को यह बताया था कि उस पर सब्बल से हमला किया गया था तथा वह यह नहीं बता सकता कि प्रथम सूचना रिपोर्ट अथवा धारा 161 दण्ड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत दिए गए उसके कथन में 'क्लब/लाठी' का उल्लेख क्यों किया गया है। उसने आगे लाठी एवं सब्बल की चौड़ाई के संबंध में भी स्पष्टीकरण दिया है। उसने आगे यह भी कहा है कि उसने अपने मामा से तथा अपने ससुर से भी धनराशि उधार ली थी और घटना के दिन वह अपने मामा के पास नहीं, बल्कि अपने ससुर के पास जा रहा था। उसने इस सुझाव से इंकार किया है कि घटना के दिन उसने शराब का सेवन किया था। अर्जुन (अ.सा.-2), जो 'क्लब/लाठी' की जप्ती का साक्षी है, ने अभियोजन के प्रकरण का समर्थन नहीं किया। सियाराम (अ.सा.-3), जो प्रदर्श. पी/2 के अंतर्गत की गई जप्ती का भी साक्षी है, जिसके द्वारा शिकायतकर्ता के कुछ कपड़े जप्त किए गए थे, किंतु उन्होंने भी अभियोजन के प्रकरण का समर्थन नहीं किया। पुनीराम (अ.सा.-4) ने अपने कथन में कहा है कि घटना के दिन, जब वह ग्राम मुकता की ओर जा रहा था, मार्ग में उसने भीड़ देखी और उसे सुखीराम नामक व्यक्ति द्वारा यह सूचना दी गई कि अभियुक्त/अपीलकर्ता ने पीड़ित कन्हैयालाल के साथ मारपीट की है तथा उससे यह अनुरोध किया गया कि वह ग्राम मुकता में पीड़ित के परिजनों को इस घटना की जानकारी दे। तदनुसार, उसने पीड़ित की बहन को इस घटना की सूचना दी। सुंदरलाल (अ.सा.-5), जो पीड़ित का मामा है, ने कहा है कि जब वह अस्पताल में पीड़ित से मिला, तब उसने उसे घायल अवस्था में देखा तथा पीड़ित ने उसे बताया कि जब वह जा रहा था, तब किसी व्यक्ति ने उसके साथ मारपीट की तथा उसने ₹3000/- की राशि भी छीन ली। उसने आगे यह भी कहा है कि पीड़ित के कुछ कपड़े उसकी उपस्थिति में प्रदर्श पी/2 के अंतर्गत जप्त किए गए थे तथा उसने उक्त जप्ती मेमो पर हस्ताक्षर किए थे। डॉ. सी. एस. शर्मा (अ.सा.-6), जो रेडियोलॉजिस्ट हैं, द्वारा प्रदर्श पी/4 एवं पी/5 के अंतर्गत लिए गए एक्स-रे परीक्षण में बायीं

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

स्कैपुला हड्डी में फ्रैक्चर पाया गया। डॉ. पी. एस. सिसोदिया (अ.सा.-7) ने दिनांक 07.05.1990 को प्रदर्श पी/6 के अंतर्गत अभियुक्त/अपीलकर्ता का चिकित्सकीय परीक्षण किया तथा उसके टेम्पोरल क्षेत्र में एक साधारण प्रकृति की खरोंच पाई। उन्होंने आगे यह भी कहा है कि उन्होंने दिनांक 06.05.1990 को पीड़ित इतवारी का भी परीक्षण किया तथा प्रदर्श पी/7 के अंतर्गत अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसमें निम्नलिखित चोटें पाई गईं—

(i) बायीं पैराइटल हड्डी पर 6 सेमी × 1 सेमी × 1 सेमी का फटा हुआ घाव।

(ii) दाहिनी जांघ के मध्य भाग में सूजन एवं कोमलता, गति करने पर पीड़ा।

(iii) दाहिने कान की पिन्ना का पृथक्करण अथवा विच्छेदन।

(iv) बाएं कंधे पर तिलांगु।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

8. अपने न्यायालयीन कथन में इस साक्षी (अ.सा.-) ने भी चोटों का वर्णन किया है। उन्होंने आगे यह भी स्पष्ट किया है कि उक्त प्राप्त चोट पीड़ित के बाएँ कान पर आई चोट गिरने से संभव नहीं हो सकती तथा इसी प्रकार कंधे पर आई चोट भी भूमि पर गिरने से उत्पन्न नहीं हो सकती। धनसाई (अ.सा.-8), जो पीड़ित का बहनोई है, ने यह कहा है कि पीड़ित ने उससे ₹2000/- की राशि उधार ली थी तथा उक्त राशि देने के लगभग 4–5 दिन पश्चात उसे यह ज्ञात हुआ कि किसी व्यक्ति द्वारा पीड़ित की राशि लूट ली गई है। इस साक्षी को शत्रुतापूर्ण घोषित किया गया। एस. एस. राज (अ.सा.-9), विवेचना अधिकारी, ने अभियोजन के प्रकरण का समर्थन किया है।

9. शिकायतकर्ता इतवारी (अ.सा.-1) के साक्ष्य का सूक्ष्म परीक्षण यह स्पष्ट करता है कि घटना की तिथि को अभियुक्त/अपीलकर्ता द्वारा उसके साथ लूट की गई थी। वह अपने न्यायालयीन कथन में अत्यंत सुसंगत है तथा उसने संपूर्ण घटना का विवरण इस प्रकार दिया है कि किस प्रकार अभियुक्त/अपीलकर्ता द्वारा उसके साथ लूट की गई। शिकायतकर्ता के साथ मारपीट करते समय अभियुक्त/अपीलकर्ता ने उसे चार चोटें पहुंचाई थीं, जो डॉ. सी. एस. शर्मा (अ.सा.-6) तथा डॉ. पी. एस. सिसोदिया (अ.सा.-7) द्वारा भी प्रमाणित की गई हैं। मुझे विद्वान अधिवक्ता श्री जैन के इस तर्क में कोई बल प्रतीत नहीं होता कि चूँकि अभियुक्त/अपीलकर्ता के कब्जे से कोई राशि बरामद नहीं हुई है, इसलिए उसे भारतीय दण्ड संहिता की धारा 392 एवं 397 के अंतर्गत दोषसिद्ध नहीं

किया जा सकता। शिकायतकर्ता (अ.सा.-1) के कथनों में पाए गए छोटे-मोटे विरोधाभास अपीलकर्ता को कोई लाभ नहीं प्रदान करते, क्योंकि अभिलेख पर ऐसा कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं है जिससे यह प्रतीत हो कि शिकायतकर्ता अभियुक्त/अपीलकर्ता को झूठा फँसाएगा। हथियार की प्रकृति अथवा लूटी गई राशि के सही मूल्यांकन से संबंधित अल्प असंगतियाँ, शिकायतकर्ता के विश्वसनीय कथन को दृष्टिगत रखते हुए, उपेक्षित किए जाने योग्य हैं। शिकायतकर्ता का न्यायालय में परीक्षण दिनांक 16.12.1991 को किया गया था, जबकि घटना दिनांक 04.05.1990 की है, अतः शिकायतकर्ता के कथन में पाई गई छोटी-मोटी विरोधाभास अथवा विसंगतियाँ स्वाभाविक हैं तथा उन्हें अत्यधिक महत्व नहीं दिया जा सकता। अतः यह न्यायालय सुविचारित मत से यह मानता है कि अभियुक्त/अपीलकर्ता की दोषसिद्धि विधि के पूर्णतः अनुरूप है तथा उसमें किसी प्रकार की कोई अवैधता नहीं है।

10. मैं विद्वान अधिवक्ता श्री जैन के इस तर्क में भी कोई बल नहीं पाता कि अभियुक्त/अपीलकर्ता को भारतीय दण्ड संहिता की धारा 397 के अंतर्गत दोषसिद्ध किया गया है, जबकि यह कोई स्वतंत्र अपराध नहीं है तथा चूँकि वर्तमान प्रकरण में स्वतंत्र अपराध अर्थात् भारतीय दण्ड संहिता की धारा 392 के अंतर्गत कोई आरोप विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा विरचित नहीं किया गया, इसलिए धारा 397 के अंतर्गत की गई दोषसिद्धि दूषित हो जाती है। यह सत्य है कि भारतीय दण्ड संहिता की धारा 397 किसी स्वतंत्र अपराध का सृजन नहीं करती है और विद्वान विचारण न्यायालय को स्वतंत्र अपराध अर्थात् वर्तमान प्रकरण में धारा 392 भा.दं.सं. के अंतर्गत आरोप विरचित करना चाहिए था, किंतु मात्र इसी आधार पर अभियुक्त/अपीलकर्ता को धारा 397 भा.दं.सं. के अंतर्गत दोषसिद्ध किया जाना दूषित नहीं ठहराया जा सकता। जहाँ तक किसी अन्य दण्डात्मक प्रावधान के अंतर्गत आरोप न विरचित किए जाने का प्रश्न है, वहाँ यह देखा जाना आवश्यक है कि जिस प्रावधान के अंतर्गत आरोप विरचित किया गया है, उसके अंतर्गत दोषसिद्धि विधि में संधारणीय है अथवा नहीं। यह प्रश्न अब अनिर्णित विधि नहीं रह गयी है तथा समय-समय पर विभिन्न न्यायालयों द्वारा अनेक निर्णयों में इस पर विचार किया जा चुका है। विधि के अनुसार अभियुक्त को यह ज्ञात होना चाहिए कि उसके विरुद्ध क्या मामला है तथा वह अपनी प्रतिरक्षा किस प्रकार कर सकता है। जब तक अभियुक्त यह संतुष्ट न कर दे कि किसी विशिष्ट दण्डात्मक प्रावधान के अंतर्गत आरोप न विरचित किए जाने से न्याय का हनन हुआ है तथा उसे कोई वास्तविक क्षति पहुँची है, तब तक ऐसे विधिक प्रावधान के अंतर्गत की गई दोषसिद्धि विधिसंगत मानी जाएगी।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

11. वर्तमान प्रकरण में, यद्यपि अभियुक्त/अपीलकर्ता के विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा 392 के अंतर्गत आरोप विरचित नहीं किया गया था, तथापि भारतीय दण्ड संहिता की धारा 392 एवं 397 के पठन से यह स्पष्ट है कि अभियुक्त इस बात से भली-भाँति अवगत था कि वह किस अपराध के लिए विचारित किया जा रहा है तथा उसे किसी प्रकार की कोई क्षति नहीं हुई| शिकायतकर्ता का अभियुक्त/अपीलकर्ता द्वारा विस्तारपूर्वक प्रतिपरीक्षण किया गया तथा अपीलकर्ता को अपनी प्रतिरक्षा हेतु पूर्ण एवं उचित अवसर प्रदान किया गया। यह तथ्य स्पष्ट करता है कि अभियुक्त लूट के अपराध के मूल अवयवों से भली-भाँति अवगत था तथा अभिलेख पर ऐसा कुछ भी नहीं है जिससे यह प्रतीत हो कि स्वतंत्र अपराध के आरोप विरचित न किए जाने के कारण अभियुक्त को कोई क्षति पहुँची हो, जिसके परिणामस्वरूप न्याय का हनन हुआ हो।

12. परिणामस्वरूप, अपील असफल होती है तथा निरस्त की जाती है। अभियुक्त/अपीलकर्ता को भारतीय दण्ड संहिता की धारा 392 सहपठित धारा 397 के अंतर्गत दोषसिद्ध किया जाता है। अभियुक्त/अपीलकर्ता वर्तमान में जमानत पर है, उसकी जमानत मुचलके निरस्त किए जाते हैं। उसे तत्काल कारागार भेजा जाए ताकि उस पर अधिरोपित शेष दण्डावधि भुगतायी जा सके।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

हस्ताक्षरित

(प्रितिंकर दिवाकर)

न्यायाधीश

अस्वीकरण: हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा । समस्त कार्यालयीन एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।

Translated By: Adv. Astha Sharma

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur